रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 502] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 1989/भाद्र 29, 1911

No. 502] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 1989/BHADRA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1989

अधिसूचना

सा. का.नि. सं. 846(अ); केन्द्रीय सरकार, दादरा और नगर हवेल) अधिनियम, 1991 (1961 का सं. 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में इस समय प्रवृत्त मध्य प्रदेश कौलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 (1986 का मध्य प्रदेश अधिनियम सं. 1) का दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर, निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए, विस्तार करती है, अर्थात् :—;

उपान्तर

1. अधिनियम में सर्वत्र, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक शब्द रखे जाएंगे ।

2. धारा 1 में,—;

(क) उपधारा (2) में, "मध्य प्रदेश" शब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—;

"(3) यह ऐसे क्षेत्रों में और उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और संघ राज्यक्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।"

3. धारा 2 में,—

(i) खण्ड (क) को उसके खण्ड (कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है";

(ii) खण्ड (घ) में, "किसी नायब तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. धारा 12 में, "किसी खण्ड का आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "जिला मजिस्ट्रेट" शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 19 में, उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

1. धारा 20 का लोप किया जाएगा।

उपाबंध

मध्य प्रदेश कौलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985

(1986 का अधिनियम सं. 1)

मध्य प्रदेश राज्य में कौलाहल के नियंत्रण के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छतीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाए :—

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985, है।

(2) इसका समस्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्य-क्षेत्र पर विस्तार होता है।

(3) यह ऐसे क्षेत्रों में और उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और संघ राज्यक्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—;

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(कक) "तीव्र संगीत" से बैंड, मशकबीन, तुरही, शहनाई, ढोल, बिगुल, डाफ डाफदा, नगाड़ा, ताशाया मांझ पर या उससे निकाली गई ध्वनि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी अन्य उपकरण या साधन से निकाली गई कोई तीव्र ध्वनि भी है;

(ख) "लाउड स्पीकर" से प्रवर्धक या ध्वनि का विस्तार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोई अन्य युक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "कोलाहल" से किसी स्रोत से चाहे वह किसी प्रकार का हो, इस प्रकार की ध्वनि अभिप्रेत है, जो साधारण संवेदनशीलता या भावुकता वाले किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक असुविधा कारित करती है या कारित करने के लिए संभाव्य है या जो अध्ययन में विघ्न कारित करती है या करने के लिए संभाव्य है?

(घ) "विहित प्राधिकारी" से जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से सशक्त किया जाए;

(ङ) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिस पर जनता आती-जाती है या जहां आने-जाने का उसे अधिकार है या जिस पर से जनता को गुजरने का अधिकार प्राप्त है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) सड़क या मार्ग, चाहे आम रास्ता हो या नहीं;

(2) दुकान, होटल, रेस्तरां जो पूर्वोक्त के समीप हैं;

(3) ऐसा अन्य स्थान जो प्रशासक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(च) "मधुर संगीत" से निम्नलिखित उपकरणों परया उनमें से किसी पर निकाली गई ध्वनि अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(1) सितार, सारंगी, इकतारा, वायलन, बंसी दिलरूबा, धाती, वीणा, सरोद, जल तरंग;

(2) प्यानो, हारमोनियम, ग्रामोफोन, तबला, खंजरी, ढोलक और मृदंग;

(3) ट्रांजिस्टर, रिकार्ड-प्लेयर, स्टॉरिओ या रेडियो जहां तक केवल संगीत कार्यक्रमों का संबंध है।

कुछ स्थानों पर मधुर संगीत का प्रतिषेध।

3(1) धारा 2 के खण्ड (च) के उपखण्ड (ii) और (iii) में वर्णित उपकरणों पर या उनसे मधुर संगीत अपराह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 6.00 बजे के मध्य किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं बजाया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात बंद क्षेत्रों या बंद दरवाजों के भीतर बनाए जाने वाले मधुर संगीत को लागू नहीं होगी जब तक ऐसे मधुर संगीत से कोलाहल पैदा नहीं होता।

तीव्र संगीत का प्रतिषेध।

4. अपराह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 6.00 के मध्य किसी स्थान पर तीव्र संगीत न तो बजाया जाएगा और न ही बजने दिया जाएगा।

लाउड स्पीकर के प्रयोग के विरुद्ध साधारण निर्बंधन।

5. (1) तीव्र संगीत अपराह्न 10 बजे और पूर्वाह्न 6 बजे के बीच न तो बजाया जाएगा और न बजने दिया जाएगा।

(2) लाउड स्पीकर उपधारा (1) में वर्णित समय से भिन्न किसी समय पर निम्नलिखित दशाओं में नहीं चलाया जाएगा या चलने नहीं दिया जाएगा,—

(क) किसी मनोरंजन व्यापार या कारबार के विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य वाणिज्यिक घोषणा के लिए : परन्तु स्थानीय प्राधिकारी या जहां कोई स्थानीय प्राधिकारी नहीं है, वहां विहित प्राधिकारी के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी उचित कारण से ऐसे घंटों के मध्य जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, लाउड स्पीकर का प्रयोग अनुज्ञात कर सकेगा;

(ख) किसी खुले स्थान या सार्वजनिक स्थान पर रिकार्ड या टेप किया हुआ संगीत चलाने के लिए;

(ग) किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंज, किसी न्यायालय, शैक्षिक संस्था या उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण और बैंक के कार्यालय से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर; परन्तु जहां कोई लाउड स्पीकर उपरोक्त दूरी के परे चलाया जाता है या चलवाया जाता है, वहां उसका वाल्यूम इस प्रकार विनियमित किया जाएगा जिससे कि उपरोक्त संस्थाओं को कोई विघ्न या उत्पात न पहुंचे।

हार्न की किस्त के लाउड स्पीकर के प्रयोग पर निर्बन्धन। लाउड स्पीकर का बजाना

6. हार्न की किस्म के लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिषिद्ध है जब तक कि विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसा अनुज्ञात न किया जाए।

7. (1) धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विहित प्राधिकारी किसी लाउड स्पीकर के बजाए जाने की अनुज्ञा निम्नलिखित परिस्थितियों में उसके निर्बन्धनों सहित दे सकेगा :

(क) लाउड स्पीकर का बजाया जाना ऐसे बंद दरवाजों और बंद परिसरों के भीतर जो जनता के लिए खुली हुई है, इस सीमा तक अनुज्ञात किया जा सकेगा कि कोलाहल ऐसे बंद दरवाजों या बंद परिसरों के बाहर न जाए :

(ख) लकड़ी की केबिनेट के भीतर रखे गए केवल शंकु की किस्म के लाउड स्पीकर का बजाया जाना ऐसी परिसरों में अनुज्ञात किया जाएगा जो या तो सभी ओर से खुली हुई हैं या बंद नहीं हैं और लाउड स्पीकर इस प्रकार लगाया जाएगा जिससे कि उसकी ध्वनि निकटतया भवन से दूर न पहुंचे।

(2) ऐसे सभी मामलों में जहां कोई लाउड स्पीकर बजाए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, वहां, विहित प्राधिकारी उस अवधि को विनियमित कर सकेगा, जो किसी एक दिन में छह घंटे से अधिक नहीं होगी और लाउड स्पीकर ऐसी रीति में और ऐसे समय के दौरान और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कोलाहल को दूर करने के लिए विहित की जाएं, चलाया जाएगा।

(3) विहित प्राधिकारी इस धारा के अधीन अनुज्ञा साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट अवधि या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए मंजूर कर सकेगा।

सार्वजनिक प्रयोजनों या घोषणा करने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग :

8. धारा 5, 6 और 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लाउड स्पीकर, सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से घोषणा करने या सार्वजनिक सम्मेलनों या विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए चलाए जा सकेंगे।

शंकु की किस्म के लाउड स्पीकर के चलाने के लिए अनुज्ञा :

9. धारा 5, 6 और 7 में किसी बात के होते हुए भी, किसी निजी भवन की बंद परिसरों के भीतर लकड़ी की केबिनेट में बंद शंकु की किस्म के लाउड स्पीकर का चलाया जाना अनुज्ञात किया जाता है परन्तु यह तब जबकि ऐसे चलाने से कोलाहल पैदा न होता हो।

सार्वजनिक हित में किसी प्रकार के कोलाहल का प्रतिषेध :

10. (1) अपराह्न 11 बजे और पूर्वाह्न 6 बजे के घंटों के मध्य किसी भी प्रकार का कोलाहल प्रतिषेध है।

(2) विहित प्राधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि उसकी राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा उसके कारणों को लेखबद्ध करके, किसी भी समय किसी भी स्थान पर, किसी प्रकार के कोलाहल को प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

मोटर यानों से उत्पन्न होने वाले कोलाहल से संबंधित विशेष उपबन्ध :

11. (1) कोई भी मोटर यान किसी सार्वजनिक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं चलाया जाएगा या प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्वातक टंकी का इस प्रकार समुचित रूप से मुंह बंद न किया गया हो कि उससे यान किसी प्रकार का कोई कोलाहल पैदा न करता हो।

(2) कोई भी किसी यान से विद्युत या यांत्रिक हॉर्न इस प्रकार नहीं बजाएगा जिससे कि पैदल चलने वालों को या निकट के यान के चालक और उसके यात्रियों को घबराहट हो या संत्रास या क्षोभ हो।

उपबंधों का शिथिलीकरण।

12. जिला मजिस्ट्रेट किसी पर्याप्त हेतुक के कारण धारा 4, 5, 6 और 7 के उपबंधों को उस विस्तार तक शिथिल कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

छूट।

13. (1) इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी।

(i) राष्ट्रीय और सामाजिक समारोहों के अवसर और नीचे वर्णित धार्मिक उत्सव :—

1. स्वतन्त्रता दिवस (26 जनवरी)
2. बसंत पंचमी
3. महा शिवरात्री
4. होली और रंगपंचमी
5. गुरीपथावा
6. चेटीचंद
7. रामनवमी
8. वैसाखी
9. महावीर जयंती
10. डाक्टर अम्बेदकर जयंती
11. बुद्ध पूर्णिमा
12. नाग पंचमी
13. ईद-उल-फितर
14. रक्षा बंधन
15. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
16. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
17. गणेश चतुर्थी से अनन्त चौदस तक
18. सर्व पितृमोक्षा अमावस्या
19. गांधी जयंती (दो अक्तूबर)
20. दुर्गा पधवा से दशहरा तक
21. दीपावली
22. भाई दूज
23. गुरु नानक जयंती
24. मिलाद-उन-नबी
25. गुरु घासीदास जयंती
26. क्रिसमस दिवस
27. ईद-उल-जुहा
28. गुड फ्राइडे और
29. मुहर्रम 1 से 10 तक ;

(ii) किसी धार्मिक स्थल या परिसरों पर लाउड स्पीकर का प्रयोग जहां वह पारंपरिक रूप में किया जा रहा है।

(2) विहित प्राधिकारी, उसको किए गए लिखित आवेदन पर ऐसी अवधि के लिए, ऐसे अवसरों पर और ऐसे क्षेत्रों में जो अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट किए जाएं, धारा 4, 5, 6 और 7 के उपबंधों से छूट दे सकेगा।

अपराधों का असंज्ञेय और जमानतीय होना।

14. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

शास्ति :

(15) (1) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्धि किए जाने के पश्चात्, तत्पश्चात् कोई अपराध करता है और उसके लिए उसे दोषसिद्धि किया जाता है, वह उस दंड के दुगुने का दायी होगा जो इस अधिनियम के अधीन प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् अधिरोपित किया जा सकता था।

लाउड स्पीकर अभिग्रहीत करने की शक्ति।

16. (1) कोई पुलिस अधिकारी जो हेड कांस्टेबिल की पंक्ति से नीचे का नहीं है, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में प्रयोग किए गए लाउड स्पीकर को अभिगृहीत कर सकेगा।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी या कोई न्यायालय जिसके समक्ष लाउड स्पीकर पेश किया जाता है, ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त किया जा सकता है जो उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करता है और जो यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूओं सहित या रहित लाउड स्पीकर जब कभी भी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करता है।

(3) अनुज्ञापत्र धारक या ऐसे धारक के नियोजन में कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से कार्य कर रहा है, ऐसे पुलिस अधिकारी की मांग पर ऐसे अनुज्ञापत्र को प्रस्तुत करने में असफल रहेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

कुछ मामलों में लाउड स्पीकर के समपहरण का आदेश करने की शक्ति :

17. दोषसिद्धि पर, अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय लाउड स्पीकर का सरकार को समपहरण करने का आदेश कर सकेगा ।

शांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति :

18. जिला मजिस्ट्रेट, जहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से लोकहित में ऐसी कार्यवाही आवश्यक समझता है, ऐसी अवधि और घंटों के लिए जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, सभी प्रकार के कोलाहल को प्रतिषिद्ध करते हुए शांत क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

नियम बनाने की शक्ति :

19. (1) प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) वे निबंधन और शर्तें जिन पर लाउड स्पीकर का प्रयोग करने की अनुज्ञा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) के परन्तुक के अधीन दी जा सकेगी :;

(ख) वह रीति जिसमें, वह समय जिसके दौरान और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञा धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन दी जा सकेगी ।;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाएगा ।

(3) लोप किया गया ।

20. लोप किया गया ।

[सं. यू-11015/3/88-यूटीएल (176)]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 1989

G.S.R. 846(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (No. 35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Madhya Pradesh Kolahal Niyantran Adhiniyam., 1985 (Madhya Pradesh Act No. 1 of 1986), as at present in force in the State of Madhya Pradesh, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. Throughout the Act, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted.

2. In Section 1, —

(a) In sub-section (2), for the words "Madhya Pradesh" the words "Union territory of Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted.

(b) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely ;

"(3) It shall come into force in such areas and on such date as the Administrator may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas in the Union territory".

3. In section 2, —

(i) clause (a) shall be re-numbered as clause (aa) thereof and before the clause so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely ;

"(a) "Administrator" means the Administrator of Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution";

(ii) in clause (d), the words "not below the rank of a Naib Tehsildar" shall be ommitted.

4. In section 12, for the words "Commissioner of a Division", the words "District Magistrate" shall be substituted.

5. In section 19, sub-section (3) shall be omitted.

6. Section 20 shall be omitted.

ANNEXURE

THE MADHYA PRADESH KOLAHAL NIYANTRAN ADHINIYAM, 1985

(Act No. 1 of 1986)

An Act to provide for control of noises in the State of Madhya Pradesh and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Kolahal Niyantran Adhiniyam, 1985.

(2) It extends to the whole of Union territory of Dadra and Nagar Haveli.

(3) It shall come into force in such areas and on such date as the Administrator may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different areas in the Union territory.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means the Administrator of Union territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(aa) "loud music" means sound produced on or from band, bag pipe, clarionet, shahnai, drum, bugle, dhole, daf, dafda, nagara, tasha or jhanj and includes any loud sound produced by any other instrument or means;

(b) "loud speaker" means an amplifier or any other device used for the purpose of amplifying sound;

(c) "noise" means sound from any source whatsoever of such character as causes or is likely to cause mental or physical discomfort to a man of ordinary sensibility or susceptibility or causes or is likely to cause disturbance in the study;

(d) "prescribed authority" means the District Magistrate or such other authority or officer as may be empowered by the District Magistrate in writing in this behalf;

(e) "public place" means a place to which public have eccess or have a right to resort or over which public have a right to pass and includes,—

(i) street or way, whether a through-fare or not;

(ii) shops, hotels, restaurants as are adjacent to the aforesaid;

(iii) such other place as the Administrator may, by notification, specify in this behalf;

(f) "soft music" means sound produced on or from any of the following instruments, namely :—

(i) sitar, sarangi, ektara, violin, bansi, dilruba, bin, veena, sarod, jaltarang;

(ii) piano, harmoniyam, gramophone, tabla, khanjari, dholak and mridang;

(iii) transistor, record-player, stereo or radio in so far as musical programmes only are concerned.

3. Prohibition of soft music in certain cases.—(1) Soft music on or from instruments mentioned in sub-clauses (ii) and (iii) of clause (f) of section 2 shall not be produced in any public place between the hours 10 P.M. and 6 A.M.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to soft music produced within enclosed areas or indoor so long as such soft music does not result in noise.

4. Prohibition of loud music.—Loud music shall not be produced or be caused to be produced in any place between the hours of 10 P.M. and 6 A.M.

5. General restrictions against the use of loudspeaker.—(1) Loud music shall not be operated or be caused to be operated between the hours of 10 P.M. and 6 A.M.

(2) Loud speaker shall not also be operated or caused to be operated at any time other than that mentioned in sub-section (1),—

(a) for the purposes of advertising any entertainment, trade or business or for any other commercial announcement :

Provided that the local authority or where there is no local authority, the prescribed authority, may permit the use of loud speaker for any reasonable cause between the hours as may be specified by him for the aforesaid purposes on such terms and conditions as may be prescribed;

(b) for playing records or taped music in any open place or public place;

(c) within a distance of two hundred metres from a hospital, a nursing home, a telephone exchange, a court, an educational institution or its hostel, Government offices, office of the local authority and bank :

Provided that where a loud speaker is operated or caused to be operated beyond the above distance its volume shall be so regulated as not to cause any disturbance or nuisance to the above institutions.

6. Restrictions on the use of horntyped loud speaker.—The use of horn-type loud speaker is prohibited, unless so permitted by the prescribed authority.

7. Operation of loudspeaker.—(1) Subject to the provisions of section 5, the prescribed authority may permit operation of a loud-speaker in the following circumstances with restrictions attached thereto .—

(a) the operation of loud-speaker may be permitted within closed doors and enclosed premises which are open to the public to the extent that noise is not carried outside such closed doors or enclosed premises;

(b) operation of only a cone type loud-speaker enclosed within wooden cabinet shall be permitted in such premises which are either open or not closed on all sides and the loud-speaker shall be so fixed as not to project sound away from the nearest building.

(2) In all such cases where a loud-speaker is permitted to be operated, the prescribed authority may regulate the duration which shall not exceed six hours in any one day and shall be operated in such manner and during such time and under such conditions as may be prescribed to eliminate noise.

(3) The prescribed authority may grant the permission under this section either generally or for a specified period or for specified purpose.

8. Use of loudspeakers for public purposes or making announcements.—Not withstanding any thing contained in section 5, 6 and 7 loud-speakers may be

operated for purposes of making announcements on behalf of the Government or local authorities or public meetings or for the maintenance of law and order.

9. Permission for operation of cone-type loud-speaker.—Notwithstanding anything contained in sections 5, 6 and 7 the operation of a cone-type loud-speaker enclosed in a wooden cabinet within enclosed premises of a private building is permitted provided that such operation does not result in noise.

10. Prohibition of any kind of noise in public interest.—(1) Noise of any kind is prohibited between the hours of 11 P.M. and 6 A.M.

(2) The prescribed authority, on being satisfied that in its opinion it is necessary in public interest so to do, by an order in writing, recording reasons therefore prohibit noise of any kind in any place at any other time.

11. Special provision relating to noise emanating from motor-vehicles.—(1) No motor vehicle shall be driven or used on a public road or in a public place unless the exhause cistern is proporey muffled so that the vehicle does not give out noise.

(2) No one shall blow an electric or mechanical horn from a vehicle as to nerve of cause alarm or annoyance to the pedestrians or driver of, and passengers in, the vehicle nearby.

12. Relaxation of provisions.—The District Magistrate may for any reasonable cause relax provisions of section 4, 5, 6 and 7 to such extent as he may consider necessary.

13. Exemption.—(1) Nothing in this Act shall apply to,—

(i) the occasions of National and Social functions and religious Festivals mentioned below :—

1. Republic Day (26th January) ;
2. Basant Panchami ;
3. Maha Shivratri ;
4. Holi and Rangpanchami;
5. Gurupadhva ;
6. Chaitti Chand ;
7. Ramnawami ;
8. Baishakhi ;
9. Mahavir Jayanti ;
10. Dr. Ambedkar Jayanti ;
11. Buddha Poornima ;
12. Nagpanchami ;
13. Idu-ul-Fiter;
14. Rakshabandhan ;
15. Independence Day (15th August) ;
16. Sri Krisna Jamashtami ;
17. Ganesh Chaturthi to Anant Choudas;
18. Sarva Pitrimoksha Amavasya ;
19. Gandhi Jayanti (2nd October) ;
20. Durga Padhva to Dashahara ;
21. Deepavali ;
22. Bhai Dooj ;
23. Guru Nanak Jayanti ;
24. Milad-un-nabi ;
25. Guru Ghasidas Jayanti ;
26. Christmas Day ;
27. Moharrum from 1 to 10 ;
28. Id-uz-Zuha ;
29. Good Friday ; and

(ii) the use of loud speaker at any religious place or premises where it is being made as a tradition.

(2) The prescribed authority may, on application in writing made to him, grant exemption from the provisions of sections 4, 5, 6 and 7 for such period, on such occasions and in such areas as may be specified in the permission.

14. Offences to be non-cognizable and bailable. Penalty.—All offences under this Act shall be non-cognizable and bailable.

15. (1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) Whoever after having been previously convected of an offence punishable under sub-section (1) subsequently commits and is convicted of an offence shall be liable to twice the punishment which might be imposed on a first conviction under this Act.

16. Power to seize the loud speaker.—(1) Any Police Officer not below the rank of Head Constable may seize the loud-speaker used in contravention of the provisions of this Act.

(2) Such police officer or any Court before which the loud-speaker is produced may release it in favour of any person, claiming to be entitled to possession thereof on his executing a bond with or without sureties to the satisfaction of the police officer or the Court, as the case may be, undertaking to produce the loud-speaker whenever called upon to do so.

(3) A holder of a permit or any person in the employ of such holder and acting on his behalf who fails to produce such permit on the demand of such police officer shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

17. Power to order forefeiture of the loud-speaker in certain cases.—On conviction, the Court trying the offence may order forefeiture of the loud-speaker to the Government.

18. Power to declare silence zones.—The District Magistrate may, where he consider such a step necessary in public interest for reasons to be recorded in writing, specify zones of silence, prohibiting noises of all kinds for such period and hours as may be specified.

19. Power to make rules. (1)—The Administrator may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the terms and conditions on which permission to use loud-speaker may be given under proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 5;

(b) the manner in which, the time during which and conditions subject to which permission may be given under sub-section (2) of section 7;

(c) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) omitted.

20. Omitted.

[No. U-11015|3|88-UTL(176)]
ASHOK NATH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989